

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

संख्या : 41/2022

गणपत पुत्र भंवरलाल जाति कहार निवासी भैरुपुरा ग्राम सीसावाली तहसील मांगरोल

.....वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज०)

.....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर०टी०एक्ट०

पीठासीन अधिकारी : श्री रजत कुमार विजयवर्गीय (आरएएस)

वकील वादी : श्री वीरेन्द्र सिंह

दायरा दिनांक: 10.03.2022

निर्णय दिनांक : 30.08.2022

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के आराजी खाता संख्या 37 खसरा नं० 357 रकबा 0.29 है० वाके ग्राम कनाडा तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादी का नाम गणपत पुत्र भंवरलाल के स्थान पर छोटया पुत्र भंवरया दर्ज हो रहा है। जबकि वादी का वास्तविक नाम गणपत पुत्र भंवरलाल है। जिसको वादी छोटया पुत्र भंवरया के स्थान पर गणपत पुत्र भंवरलाल दुरुस्त करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादी का नाम अन्य दस्तावेजों राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि में गणपत पुत्र भंवरलाल दर्ज हो रहा है। इसलिए अपना नाम राजस्व रेकार्ड में छोटया पुत्र भंवरया के स्थान पर गणपत पुत्र भंवरलाल दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम छोटया पुत्र भंवरया के स्थान गणपत पुत्र भंवरलाल दुरुस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 10.03.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट पत्रांक/राजस्व/2022/1312 दिनांक 17.08.2022 के अनुसार छोटया पुत्र भंवरया एवं गणपत पुत्र भंवरलाल दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है अन्य अलग-अलग नहीं है। घर में अपने भाई बहनों में छोटा होने के कारण छोटया नाम से भी पुकारा जाता है। अतः राजस्व रेकार्ड में उक्त का नाम छोटया के स्थान पर गणपत उर्फ छोटया सां० देह दर्ज किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो तथा बयान गवाह वादी स्वयं एवं महावीर पुत्र कन्हैयालाल जाति कहार निवासी भैरुपुरा सीसावाली के आधार पर आराजी खाता संख्या 37 खसरा नं० 357 रकबा 0.29 है० वाके ग्राम कनाडा तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादी का नाम छोटया पुत्र भंवरया के स्थान पर गणपत उर्फ छोटया पुत्र भंवरया दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ-साथ यदि वादी के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय में जैरकार हो उसके लिए वादी स्वयं जिम्मेवार होंगा। पत्रावली फैंशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2022 को खुले न्यायालय में मजमेआम सुनाया गया।

उपखण्ड अधि.